न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(डॉ.भंवर लाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 10/2020
दायर दिनांकः 20.08.2020
निर्णय दिनांक 04.07.2024

—:अनवानः—

मोहन सिंह पिता नाथुसिंह जाति चदाणा राजपूत, आयु वयस्क, निवासी सिया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द

— अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुम्भलगढ़

— रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द प्रकरण संख्या 922/2019 सरकार बनाम दौलत सिंह वगैरा निर्णय दिनांक 18.11.2019 से व्यथित होकर
अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—
1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री अनील बागोरा, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का कड़िया ने राजस्व ग्राम सिया, पटवार हल्का कड़िया जिला राजसमन्द की वर्तमान आराजी नम्बर 401/1 व 541 रकबा क्रमशः 2 बीघा व 5 बीघा पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार, कुम्भलगढ़ के यहां रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर तहसीलदार, कुम्भलगढ़ द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसे दिनांक 18.11.2019 को बेदखल करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर पिछले 35

साल से कब्जा आधिपत्य है। अपीलार्थी ने उक्त भूमि के चारों तरफ पत्थर की दीवार बनाकर भूमि को समतल कर काश्त योग्य बनाया है। अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य होते हुए भी अपीलार्थी को अतिक्रमी मानने में त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी को अपनी साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई पर्याप्त व उचित अवसर ही नहीं दिया है। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में नोटिस तामील ही नहीं हुए थे। उसे जवाब साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर ही नहीं मिला। जबकि अपीलार्थी का पुराना कब्जा, आधिपत्य होकर अपीलार्थी ने उक्त भूमि को विकसित एवं आबाद किया है। उक्त भूमि सन् 1985 में अपीलार्थी के पिता नाथुसिंह पिता उदयसिंह को जरिये मिसल संख्या 347/86 दिनांक 28.05.1986 को आराजी नम्बर 541 में से 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी तथा मौके पर कब्जा, आधिपत्य सुपुर्द किया गया था तब से अपीलार्थी के पिता एवं उनके स्वर्गवास के बाद अपीलार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग, उपभोग व काश्त करता चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उक्त भूमि का अतिक्रमी मानने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में जो आदेश पारित किया है वह छपे हुए प्रफोर्मा में किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश न्यायिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। प्रकरण दर्ज करने के बाद उसका नोटिस सुनवाई बाबत अपीलार्थी को तामील ही नहीं हुआ है और उसको सुने बगैर ही उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये गये हैं जबकि प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया है, उसे नोटिस ही तामील नहीं हुआ है। अपीलार्थी के पिता उक्त भूमि पर काबिज रहे थे तथा उनके स्वर्गवास के बाद वर्ष 2014 से अपीलार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे हैं। अपीलार्थी के पिता ने उक्त आवंटित भूमि राजस्व रेकर्ड में अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु राजस्थान सुनवाई का अधिकार, 2012 के तहत भी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 शिविर कड़िया में दिनांक 09 फरवरी, 2013 को प्रार्थना पत्र पेश किया था लेकिन उसके बाद भी उक्त भूमि उनके नाम पर दर्ज नहीं की गई और उनके स्वर्गवास के बाद धारा 91 की कार्यवाही अपीलार्थी के नाम पर प्रारम्भ कर दी गई जबकि अपीलार्थी व उसके पिता वैध रूप से आवंटित भूमि पर ही काबिज होकर उपयोग, उपभोग व काश्त कर रहे हैं। अपीलार्थी का इस भूमि पर लम्बे समय से कब्जा आधिपत्य है। राज्य सरकार द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र कमांक–प–6 (7) राज–4/77/2 दिनांक 11/01/2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15/07/1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की दिनांक 15/7/1994 से बढ़ाकर दिनांक 1/1/2000 तक कर दिया गया है, इसके उपरान्त सन् 2000 से उक्त अवधि बढ़ाकर 2018 प्रशासन गांवों के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है। अपीलार्थी का कब्जा 1985 से भी पूर्व का हैं और अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में अपील मेमो वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का कड़िया ने राजस्व ग्राम सिया, पटवार हल्का कड़िया जिला राजसमन्द की वर्तमान आराजी नम्बर 401/1 व 541 रकबा क्रमशः 2 बीघा व 5 बीघा पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार, कुम्भलगढ़ के यहां रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर तहसीलदार, कुम्भलगढ़ द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसे दिनांक 18.11.2019 को बेदखल करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर पिछले 35 साल से कब्जा आधिपत्य है। अपीलार्थी ने उक्त भूमि के चारों तरफ पत्थर की दीवार बनाकर भूमि को समतल कर काश्त योग्य बनाया है। अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य होते हुए भी अपीलार्थी को अतिक्रमी मानने में त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी को अपनी साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई पर्याप्त व उचित अवसर ही नहीं दिया है। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में नोटिस तामील ही नहीं हुए थे। उसे जवाब साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर ही नहीं मिला। जबकि अपीलार्थी का पुराना कब्जा, आधिपत्य होकर अपीलार्थी ने उक्त भूमि को विकसित एवं आबाद किया है। उक्त भूमि सन् 1985 में अपीलार्थी के पिता नाथुसिंह पिता उदयसिंह को जरिये मिसल संख्या 347/86 दिनांक 28.05.1986 को आराजी नम्बर 541 में से 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी तथा मौके पर कब्जा, आधिपत्य सुपुर्द किया गया था तब से अपीलार्थी के पिता एवं उनके स्वर्गवास के बाद अपीलार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग, उपभोग व काश्त करता चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उक्त भूमि का अतिक्रमी मानने में त्रुटि कारित की है। प्रकरण दर्ज करने के बाद उसका नोटिस सुनवाई बाबत अपीलार्थी को तामील ही नहीं हुआ है और उसको सुने बगैर ही उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये गये हैं जबकि प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया है, उसे नोटिस ही तामील नहीं हुआ है। अपीलार्थी के पिता उक्त भूमि पर काबिज रहे थे अपीलार्थी का इस भूमि पर लम्बे समय से कब्जा आधिपत्य है। राज्य सरकार द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र कमांक–प–6 (7) राज–4/7.7/2 दिनांक 11/01/2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15/07/1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की दिनांक 15/7/1994 से बढ़ाकर दिनांक 1/1/2000 तक कर दिया गया है, इसके उपरान्त सन् 2000 से उक्त अवधि बढ़ाकर 2018 प्रशासन गांवों के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है। अपीलार्थी का कब्जा 1985 से भी पूर्व का हैं और

न्यायालय जिला कलक्टर

अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कुम्भलगढ़ द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में नोटिस जारी होने के पश्चात अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु एवं जवाब, साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया है जो प्राकृतिक न्याय के द्विान्तो के विपरित हैं। उक्त प्रकराणाधीन भूमि सन् 1985 में अपीलार्थी के पिता नाथुसिंह पिता उदयसिंह को जरिये मिसल संख्या 347/86 दिनांक 28.05.1986 को आराजी नम्बर 541 में से 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। जो पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से प्रमाणित होती हैं। अतः उक्त परिस्थिति में मैं अपील अपीलांट को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कुम्भलगढ का निर्णय दिनांक 18.11.2019 को अपास्त करता हूँ।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2019 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार, कुम्भलगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता हैं कि अपीलांट को शहादत, सबूत एवं सुनवायी का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का पुनः नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 04.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद